

四

पराणा मणिस्त्रृट गहोदय,
मटवारी, चिह्ना सत्ताकामा

-10-

लाखी सिंह विट पुन श्री गोर सिंह निवासी निकट गलता
गोदाम, ज्ञानसू उत्तरकाशी। मालिक "डोटल 5 ऐलीमेण्ट्स", ज्ञानसू
जिला उत्तरकाशी।

- 14 -

महादेव

अतः आपसे प्रार्थना है कि प्रार्थी की मौजा हरिल के खसरा संख्या- 4659, मध्ये 0.109 हेक्टेयर तथा खसरा संख्या- 4658 मध्ये 0.005 हेक्टेयर कुल 0.0114 हेक्टेयर भूमि सहित अन्य लगी भूमि के मोके पर राजसव अभिलेखों के साथ वास्तविक जांच कर व स्पष्ट औरछा प्रेषित करने हेतु पटवारी/राजसवनि० हरिल को आदेशित करने की महती कृपा की जाय।

दनाक— 29.11.2021

三

रोचांगे,

पराणा मजिस्ट्रेट महोदय,

मटवाडी, जिला उत्तरकाशी।

प्रार्थी-

लाखी सिंह विष्ट पुत्र श्री शेर सिंह निवासी निकट गाला
गोदाम, ज्ञानसू उत्तरकाशी। मालिक "होटल 5 ऐलीमेण्ट्स", ज्ञानसू,
जिला उत्तरकाशी।

विषय— मौजा हर्षिल के खसरा संख्या- 4659 मध्ये 0.109 हेक्टेयर तथा खसरा संख्या- 4658 मध्ये 0.005 हेक्टेयर कुल 0.0114 हेक्टेयर मूमि पर ठेकेदार श्री संजय ढोडी पुत्र गुलशन कुमार ढोडी, निवासी जळभरत मार्ग, उत्तरकाशी द्वारा अनुबन्ध की शर्तों का उल्घन कर कठाव व खुद्द बुद्द करने के संदर्भ में।

महोदय,

BH
मानसू 55 नं ११५
खसरा संख्या- 4659 नम्बरे 0.109 हेक्टेयर तथा खसरा संख्या- 4658 मध्ये 0.005 हेक्टेयर कुल 0.0114 हेक्टेयर मूमि सहित अन्य लगी भूमि का मालिक भूमिधर है तथा इसी प्रकार राजस्व अभिलेखों में भी दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी एवं एक ठेकेदार श्री संजय ढोडी मिनास्ट्राट्याना जो वेली कंस्ट्रक्शन के नाम से हर्षिल बांगरी में मोटर रोड व मुलों का निर्माण कर रखा है, के मध्य अनुबन्ध उपरोक्त भूमि पर उसकी निर्माण सामग्री, मशीनरी एवं कंटेनर आदि रखने के लिये अनुबन्ध हुआ तो लेकिन ठेकेदार संजय ढोडी ने अनुबन्ध की शर्तों का पालन न कर प्रार्थी की उक्त भूमि को काट-काटकर खुद्द बुद्द कर दिया है जिससे उक्त मूमि के अस्तित्व को भारी खतरा पैदा हो गया है और अब कहता है कि उक्त मूमि प्रार्थी की नहीं बल्कि प्रार्थी के साथ-साथ अन्य कई लोगों की भी शरणकार की भी है। जिससे मौके पर विवाद की स्थिति पैदा हो गयी है।

Gekh
अपनी विलापन का लिखा गया है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि प्रार्थी की मौजा हर्षिल के खसरा संख्या- 4659 मध्ये 0.109 हेक्टेयर तथा खसरा संख्या- 4658 मध्ये 0.005 हेक्टेयर कुल 0.0114 हेक्टेयर भूमि सहित अन्य लगी भूमि के मौके पर राणव अभिलेखों के साथ वार्ताविक जांच कर व साइ ऑफ्या प्रेषित करने हेतु पटवारी/राजउनिं विल को आदेशित करने की महती कृपा की जाय।

दिनांक— 29.11.2021

प्रार्थी

②

खसरा सख्या 4657 म. 0.005 हे., खसरा सख्या 4658 म. रकवा 0.005 हे., खसरा सख्या 4659 म. रकवा 0.109 हे., खसरा सख्या 4661 रकवा 0.118 हे., कुल रकवा 0.241 हे. भूमि जगमोहन सिंह पुत्र लालीसिंह व त्रिहरी एसोसिएट्स उत्तरकाशी के नाम पर दर्ज हे। और खसरा सख्या 4656 रकवा म. 0.004 हे., खसरा सख्या 4657 रकवा म. 0.003 हे., खसरा सख्या 4658 रकवा म. 0.004 हे., कुल रकवा 0.011 हे। अगि. प्रा. खण्ड तो निवि. के नाम पर दर्ज हे। इसके अतिरिक्त खाता खतीनी क्र. सं. 00048 मे खसरा सख्या 4659 म. रकवा 0.016 हे. भूमि लो निवि. के नाम पर दर्ज हे।

2. नोके पर पुल का एबडमेट 11 मी., लालाई व 12 मी. चौडाई पर निर्माणाधीन हे। जिसका क्षेत्रफल 132 व.मी. हे। इसके अतिरिक्त पुराने पुल के बगाल मे 12 मी. लालाई, 2.50 मी. चौडाई जगह पर सुखा दीवार पुराने पुल के बहाव मे लागी हे, जिसका क्षेत्रफल $12 \times 2.50 = 30$ व.मी. भूमि हे। इसके अतिरिक्त पुल के एबडमेट के सामने 11 मी. ल. तथा 3 मी. चौडाई की जगह बची हे। खसरा सं. 4659 मे कुल क्षेत्रफल 192 वर्ग मी. भूमि प्रा.ख. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रयोग मे लाई गई है, जबकि उनके द्वारा खसरा सं. 4659 मे कुल 0.016 हे. यानि की 160 वर्ग मी. भूमि ही क्रय कर रखी हे। 32 वर्ग मी. खसरा सं. 4659 का प्रयोग कर रखा हे जो प्रार्थी के नाम की भूमि हे।
3. यह कि खसरा सं. 4659 मध्ये कुल क्षेत्रफल 0.109 हे. भूमि प्रार्थी के नाम पर हे। इस भूमि का समतीकरण अरविन्द सिंह बुटोला व श्रीमती जसीला देवी बुटोला के मकान के लेवल तक पुराने सड़क से पुराने पुल के सड़क से 1.00 मी. नीचे था, लौकिन ठेकेदार संजय ढोढी द्वारा नये पुल के खुदान के समय प्रार्थी का खसरा सं. 4659 मे 17 मी. \times 18 मी. भूमाग को खोद कर कुल 306 वर्ग मी. यानि 0.036 हे. भूमि को पुल के निर्माणाधीन एबडमेट के तल तक खोद कर खनन कर रखा हे और बरसात के समय नदी के बहाव अधिक होने पर खसरा सं. 4659 व 4661 को पूरी भूमि पर कठाव की सम्मावना है, जिसका कुल रकवा 0.144 हे। भूमि आगीरथी नदी के बहाव होने के कारण खतरे की कगार मे हे।

अल: जांच आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा मे प्रेषित।

संलग्नक— नकल खतीनी, अनुबन्ध पत्र व नक्शे की छायाप्रति।

राजेश उपनिषद्धक
भूखवा /झाला
गटवाडी, उत्तरकाशी
1/2-2021

श्रीमान ताहरीलदार महोदय
पाटियाडी, जिला उत्तरकाशी।

प्रार्थी— लाखीसिंह बिल्ड पुनर श्री शेर सिंह
निवासी— निकट सरकारी गल्ला गोदाम, ज्ञानशृं
गोटल ५ एवंमेन्टस, उत्तरकाशी।

विषय— ग्राम हरिन के खसरा संख्या 4659 म. रक्वा 0.109 है, तथा खसरा संख्या 4658
म. रक्वा 0.005 है, कुल रक्वा 0.114 है, भूमि पर ठेकेदार श्री संजय लोटी पुन
गुलशन कुमार लोटी निवासी जड़मरत मार्ग उत्तरकाशी छारा अनुबन्ध की शर्तों
के विलक्ष उल्लंघन कर खेतों का कटाव कर (बन्दोबस्ती सीमाओं) में खुद-बुद्धि
करने के साक्षण में जाच अरथ्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रार्थी लाखीसिंह बिल्ड हारा मौका राजस्व अभिलेखों से वास्तविक
जांच हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 29.11.2021 को श्रीमान पराणा नजिक्कट महोदय भटवाडी
को सम्बोधित है। कार्यालय उप जिलाधिकारी भटवाडी में कार्यरत वेयकितक सहायक के
हस्ताक्षरी आदेश दिनांक 29.11.2021 को जाच हेतु प्रार्थी से दिनांक 30.11.2021 को वोकी
हाजा पर उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र दिया है।

प्रार्थना के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तत्वों का सदर्थं ग्रहण करने का कष्ट करेंगे।
प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने उल्लिखित किया है कि हरिल बगोरी मोटर मार्ग, भागीरथी नदी
पुल (एवेटमेट) निर्माण कर्ता ठेकेदार श्री संजय लोटी वैली कान्ट्रीव्हान के नाम से है और
प्रार्थी लाखीसिंह बिल्ड ने ग्राम हरिल में खसरा संख्या 4659 म. रक्वा 0.109 है, तथा खसरा
संख्या 4658 म. रक्वा 0.005 है, कुल रक्वा 0.114 है, अर्थात् 1140 वर्ग मी. निर्माण सामग्री
मशीनरी एवं कंटेनर आदि सामग्री रखने के लिए अनुबन्ध कर रखा था, लेकिन ठेकेदार
संजय लोटी ने अनुबन्ध की शर्तों का पालन न कर प्रार्थी की भूमि को
काट-काटकर (खेतों को बन्दोबस्ती सीमाओं को) खुद-बुद्धि कर दिया है, जिससे उक्त वाणित
भूमि के अस्तित्व को भारी खातर पैदा हो गया है, क्योंकि भूमि भागीरथी नदी के तल पर
आ गई है, इसलिए मौका मुआयना कराने हेतु प्रार्थना की है।

यह कि प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जाच हेतु दिनांक 30.11.2021 प्रार्थी
सहित यू-अभिलेखों को लेकर मौका किया गया जिसकी जाच आधा इस प्रकार है,

1. यह कि ग्राम हरिन के खाता खतोनी क्रम संख्या 00053 में प्रार्थी होटल ५ एलीमेट
द्वारा लाखीसिंह पुनर श्री शेरसिंह सहखातेदार ज्ञानसू के नाम में दर्ज है और यहाँ-पर
के परिवर्तन आदेशों के स्तम्भ 7-12 में खसरा संख्या 4656 म. रक्वा 0.004 है।

—माना - ७५८

यह कि खेत न0- 4659 रक्वा 0.36 तथा खसरा स0- 4661 रक्वा 0.1118 हैकड़ीयर भूमि कुल रक्वा 0.154 पर भागिकी नदी कि और से होने वाले कठाव को रोकने के लिए आरोसी0 सुखा दिवाल लगाए जाने हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों द्वारा लिखित रूप में देकर हमें मह खातेदारों को अस्पत्ता कुपने कि कृपा करे जो लिखित कर भविष्य में अमल में लाये जा सके।

यह कि प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि का कठाव रोकने हेतु सम्बन्धित निमाण एवं कार्यदारी संस्था को (विश्व दैक) सुखा दिवाल का कार्य समय पर नहीं किया जाता तो प्रार्थी को अत्याधिक हानि होने पर फू-पूरी सम्भावना है जिसका पूरा पूरा उत्तरदायितवा सम्बन्धित विभाग पर होगा।

यदि उपरोक्त विषयांक ठेकेदार संजय डोटी ने जो खनन व क्षति पहुचाही गई है उसके लिए डोंगे जिलाधिकारी महोदय से करवय निवेदन है कि उक्त ठेकेदार के खिलाफ खनन एवं के तत्त्व कार्यवाही कि जाय। नहीं तो मुझे विवश होकर सक्षम अधिकारिक न्यायलय में क्षति पूर्ति एवं सुखा दिवाल हेतु बात दायर करने के लिए वाच्य होना पड़ेगा। हम नहीं चाहते हैं की विकास कार्यों में अवरोधकता बने। किन्तु उपरोक्त विषय पर सहानुभूति पुरुक यदि कार्यवाही नहीं कि गई तो मत्तुकुरु मुड़े जल नहीं सवैधानिक कार्यवाही भी करनी पड़ेगी।

अतः श्रीमान महोदय जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी की उपरोक्त वरिष्ठ भूमि में खनन क्षति एवं आरोसी0 सुखा दिवाल लगवाने हेतु सहानुभूति पूरुक कार्यवाही करने की कृपा करो।
हम आपके आजिम्यम आभासी रहेंगे।

धन्यवाद

दिन-06/12/2021

प्रार्थी

13374

जगमोहन सिंह विष्ट
(बी हरि एसोसियस) उत्तरकाशी

लाखी सिंह विष्ट, होटल 5-ऐलिमेंटस
ज्ञानसू उत्तरकाशी

प्रतिलिपि:-

- 1:- विष्व बैक यूटी0आरपी0ए0एफ उत्तरकाशी।
- 2:- आरोसी0सी0 उत्तरकाशी।
- 3:- कार्यक्रम प्रबन्धक PIU Road and Bridge and Slope UDRP-AF ADD: 4TH FLOOR - P.D.PM TOWER उजब पूर्न खुद हरिद्वार बाईपास रोड देवरादुन, पिन कोड-248001।
- 4:- संजय कुमार डोटी, वैली कास्ट्रक्शन जड भरत मार्ग उत्तरकाशी।
- 5:- सुरक्षित।

सलान प्रति:-

- 1:- राजस्व उपनिरेक्षक हसिल वगोरी की रिपोर्ट।

2:- नद्या मोका मुख्यना।

3:- खतोनी की तकल।

प्रार्थी
जगमोहन सिंह विष्ट
(बी हरि एसोसियस) उत्तरकाशी
लाखी सिंह विष्ट, होटल 5-ऐलिमेंटस
ज्ञानसू उत्तरकाशी

विषय:- हिंडू बगोरी मोटर मार्ग पर भगीरथी नदी पर पुल निर्माण कार्यदर्थी संस्था विश्व देवक यूनिडोआरपीएफ उत्तरकाशी। एवं ठेकेदार श्री साजय लोही (विनी कन्सट्रक्शन) द्वारा प्रभागी की निजी भूमि से अवैध खनन से क्षतिग्रस्त करने तथा मूर्मि को अचुकित कर के उपरान्त आरू सी०सी० सुरक्षा विवाल लगवाने के सम्बन्ध में।

四

आख्या की सलाना है,

अना जोध आछ्या रिपोर्ट रोवा मे उपि त ।

मु

मुक्तना अधिकारी अधिकारी अनुभव चिंतन

सत्य प्रतिलिपि

मुक्त

सत्याक सोक सत्या अधिकारी
कामांक दृष्टि विकारी
भट्टाचारी, भट्टाचारी

गजस्थ उपनिशदाक

मुख्या / ग्राला

तह०-मटवाडी, उत्तरकाशी

०५१२१२०२२

सेवाएँ

सीमान्त तदर्शीपार - महोदयपुका अंगतांगी अंगतांगी अंगतांगी
आधारी, अंतर्राष्ट्री

सत्य प्रतिक्रिया

ग्राहिय,

मालवान आधिनापका आधी आगोहन क्षेत्रे ५० लाखी मिट्टि
भास शी अधिनव ढोई १० शी बंजय ढोई, संजय लेई ८० ग्रामनटोडी
में० वेली कंरद्रकलन कामनी आ० हिं० उत्तरकामी की जाँच की जाई जाऊं
आज्ञा विनवता सेवामे आवित है।

यह नहीं आधी के नाम अराम-हरिल मध्ये यान २० ४६८६३० ०००७५० रु० न०
४६६७ म० ०००५ है० यान २० ४६५८ म० ०००५ है० रु० न० १६५७ म० ०१०९ है०
यान २० ४६६१ म० ०११८ है० कुल ०.२४। है० झास याद्यानेदृ८ के काप में दृ८
आधिलेय है, आधी के शूष्म के निकट तेली करद्रकलन कामी हारा दरिला
बगोरी मार्ग में भावित्या नदी पार पुल लघ निर्मित किया जा रहा है। प्रथी
की धाम पर विपद्यी हारा-निमीना कार्य की मशीनरी आही आधी गणीजी
शी, जो छु आधी के अर्थना-फा के अनुकार छियाये पर दृ८ जागाया
या, आधी व विष्णी के डारा निर्मित अनुबन्ध कियाये व उन्ही शारी
री तरफ निर्मित जार्य के सम्बन्ध में अनुश्य देना बाताया गया है।
किन्तु आधी व आधी बैग्ये छु अनुश्य अनुसार प्रार्थी की
तरफ कोई जार्य विष्णी हारा नहीं कराया गया आधी की शूष्म का
आधी व विष्णी के मध्य अपनी सहायता / अनुपन्थ के अनुसार पिली
हारा शूष्म का उपयोग किया गया है, और साप-वायी का छहना है,
कि आधी को ना तो किया दिया गया है, ना अनुवन्ध के अनुसार
किया दिया गया है। अनुबन्ध पुक्त रथाल पर उक्त अधी कार्य प्रार्थी
व पिली के मध्य छुओं अनुबन्ध के अनुकार छु है, व आमता
आपनी देन व जाती पड़ेंवाये जाने के सम्बन्ध में है, विदार्थी
प्रिये आधी को चारे के बद विपद्यी गांगा के रिवलाएँ साथार
OnePlus Nord N20 SE 2023/10/05 19:45 लें इस सम्बन्ध में यूं प्रार्थिता फता की जाऊं

四

ताहसीलदार

卷之三

उप जिलाधिकारी
मण्डवाडी।

संख्या २४ | २०काठीचिपत्रा०/२०२२-२३
महोदय,

$$\begin{array}{r} 3353 \\ \times 123 \\ \hline 1006 \\ 6706 \\ 3353 \\ \hline 40759 \end{array}$$

त्रिहसीलदार
भट्टवाडी।

ੴ ਪਾਤਖਾਡੀ।

संख्या २४ | ८०का० चित्राच
महोदय,

Sdm & networks

त्रिहसीलदार
भट्टवाडी।

ਉਧ ਜਲ
ਗੁਰਖਾਡੀ।

संख्या २४ | २०काठीचिपत्रा०/२०२२-२३
महोदय,

संलग्न प्रार्थना पत्र प्रार्थी जगमोहन सिंह पुत्र लाली मिह निवासी ग्राम जानमृ बाई संख्या ११ त्रिहरो एसोसियेट्स थाना कोतवाली उत्तरकाशी बनाम अधिनव दोडी पुत्र संजय दोडी, संजय दोडी पुत्र गुलशन दोडी में० बैली कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा०लि० उत्तरकाशी पर पारंवार्कित आपके ओदेशा दि० ०९.११.२०२२ के अनुपालन मे प्रकरण की जांच गरजस्व उपनिवेशक मुख्या से करवायी गयी जांचोपराल्त पाया गया कि प्रार्थी के नाम ग्राम हरिंग मध्ये ख०नं० ४६५६म/०.००४ह०, ४६६७म/०.००५ह०, ४६५८म/०.००५ह०, ४६५९म/०.१०९ह०, ४६६१म/०.११८ह०, कुल रकवा ०.२४।ह० भूमि सहखातेदार के रूप मे दर्ज अधिसेख ह। प्रार्थी की भूमि के निकट वैती कन्स्ट्रक्शन कम्पनी हारा हरिंग-बोरी मार्ग मे भागीरथी नदी पर कुल का निर्माण किया जा रहा है। प्रार्थी की भूमि पर विष्की हारा निर्माण कार्य को मशीनी आदि रखी गयी थी जो कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अनुसार किये पर रखी गयी है। प्रार्थी व विष्की के हारा लिखित अनुबन्ध किये व उनकी भूमि की तरफ निर्माण कार्य के सम्बंध मे अनुबन्ध होना बताया गया है किन्तु प्रार्थी व प्रार्थी के मध्ये हुये अनुबन्ध के अनुसार प्रार्थी की तरफ विष्की हारा कोई कार्य नही कराया गया है तथा प्रार्थी व विष्की के मध्य आपसी नहमति/अनुबन्ध के अनुसार ही विष्की हारा भूमि का उपयोग किया गया है, और अब प्रार्थी का गहना है कि विष्की हारा उन्हे अनुबन्ध के अनुसार किया नही दिया गया है। मामला आपसी जिसके लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय मे बाद दायर किया गया है।

अतः जांच आळ्या उपरोक्तानुसार सेवामे प्रेषित।

सं. ३९४ /

भारतीय

14

सं. ३९८ / अ. २१०१-२३ भवदीय
कृष्णसीलदार भट्टाचारी
तु तदेष्विलापां श्रुतिं श्रुति
प्राप्ति प्राप्ति अस्तु अस्तु अस्तु

सत्याक लोक सम्मान अधिकारी
कावदलिप आ जैवनी दक्षा
सुदर्शन अधिकारी

4.0.2

三

अम लिलानी तथा
भट्टाचार्य
21/01/23

OnePlus Nord N20 SE
2022/10/05 10:45



कार्यालय- लोक सूचना अधिकारी/उप जिलाधिकारी भटवाड़ी, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या:- **501** /पो०८०- सु.अध./ 2023
प्रेषित,

दिनांक **23** फरवरी, 2023

श्री लाखी सिंह बिष्ट पुत्र
श्री शेर सिंह बिष्ट,
निवासी जानसू बाड़ नं०-१०
पट्टी बाड़ाहाट, तहसील भटवाड़ी,
जिला उत्तरकाशी।

कृपया अपने अनुरोध पत्र दिनांक 14.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
उक्त अनुरोध पत्र में चाही गयी वांछित सूचना को सत्यापित आवाप्ति संलग्न कर प्रेषित है। कृपया
पावती स्वीकार करने का कष्ट करें।

इस कार्यालय के द्वारा दी गई जानकारी से यदि असन्तुष्ट हों तो, सूचना प्राप्ति की
तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपीलीय प्राधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपेल दायर
कर सकते हैं।

अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम व पता
श्री अभ्येक रूहेला,
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

(कृतर सिंह चौहान)
लोक सूचना अधिकारी/
उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी।

सेवा में

अधिशासी अधिकारी,

विश्व बैंक खातः,

पूर्जीवारपीयोप्रदान,

उत्तरकाशी।

विषय— हर्षिल निर्माणाधीन पुल के पल्लर (एबेडमेंट) के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक निवेदन करना है कि हर्षिल में आपके द्वारा जो पुल निर्माणाधीन है, के संदर्भ में दिनांक 22.02.2020 को मैं एवं आपके विभागीय अधिकारी / कर्मचारी पुल निर्माण स्थल पर गये थे, ज्ञात हुआ कि हर्षिल की ओर से मेरे खेत से लगा पिल्लर (एबेडमेंट) हर्षिल पुराने पुल से लगाना 6 मीटर जगह छोड़कर बनाये जाने हेतु सर्व हो रहा था, जो कि सही नहीं है।

आतः महोदय से करबद्ध निवेदन है कि पुल का पिल्लर (एबेडमेंट) पुराने पुल से लगी हुई जमीन से बनाने की कृपा करें। जिससे मेरी जमीन का बचाव हो सके, क्योंकि मेरे पास मात्र यही भूमि मेरा एवं मेरे परिवार का भरण-पोषण का साधन मात्र है।

६५०२३। २। २।

प्रतिलिपि—

६५०२३। २। २। २।

अनश्वयक कार्यवाही हर्षिल
१८। १०। २३। २। २।

प्राप्ति
(लाखी सिंह बिष्ट)

हाल निवास-ज्ञानसू
उत्तरकाशी।

सेवामें

कार्यक्रम प्रबन्धक PIU Road and Bridge and slope UDRP- AF ADD:
4th FLOOR-DD. PM TOWER अजबपुर खुड्ड हरिद्वार बाईपास रोड
देहरादून पिन कोड-2448001

प्रार्थी- लाखी सिंह बिष्ट उम्र करीब 70 वर्ष पुत्र स्वा० श्री शेर सिंह

विषय- वैली कंस्ट्रक्शन कम्पनी के स्वामी श्री संजय ढोढ़ी के साथ आपके विभाग अनुबन्ध संख्या 220/ UDRP- AF /69/(BR) के विरुद्ध भागरथी नदी पर वर्तमान में जारी हर्षिल पुल कार्य का भुगतान रोके जाने के संदर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के क्रम में निवेदन कर आपको अत्यंत खेद के साथ अवगत कराना है कि जैसा कि आपके संज्ञान में है हर्षिल बगोरी पुल मोटर मार्ग कार्य निविदा पर श्री संजय ढोढ़ी की वैली कंस्ट्रक्शन कम्पनी के नाम पर स्वीकृत है।

उल्लेखनीय है कि जब उपरोक्त कम्पनी के नाम पर उपरोक्त पुल निर्माण निविदा स्वीकृत हुयी तो इस दौरान उपरोक्त कम्पनी के स्वामी संजय ढोढ़ी द्वारा प्रार्थी तथा साथ एक लिखित इकरारनामा दिनांक- 01.05.2021 के अनुबन्ध समक्ष गवाहन तहरी फरवाकर यह तय हुआ था कि प्रार्थी की हर्षिल में स्थित खाता संख्या- 53 के खसानंख्या- 4658 मध्ये रक्षा 0.005 हेक्टेयर, 4659 मध्ये रक्षा 0.109 एवं कुल 114 हेक्टेयर भूमि पर अपने पुल निर्माण की सामग्री व मशीनरी आदि रखने के लिये लिया जा रहा है। जिसका केराया उक्त लिखत के अनुसार विपक्षी कम्पनी को प्रार्थी को 5,000.00 रुपये प्रतिहाँ ता आ था, जिसके बदले विपक्षी कम्पनी द्वारा प्रार्थी को उक्त भूमि पर 28 फिट चौराऊ एवं 3 फेट लम्बी भूमि पर 04 ल्लाक बनाकर प्रार्थी को देने थे जिसमें 36 कॉलम जिसका 19x35 फीट गहराई एवं 90 सेमी० ऊंचाई वाले कॉलम, 90x90 सेमी० के रफ्ट तथा ब्लॉक बाइ 2023/10/05 19:35 एवं ऊंचाई पर सीलिंग पाइप विपक्षी द्वारा प्रार्थी को बनाकर देना था। जिसका समझ प्रार्थी

कम्पनी द्वारा न तो उक्त लिखत के अनुसार किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य का कोई अनुपालन किया गया न ही प्रार्थी को किसी प्रकार से तयशुदा प्रतिमाह 5 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया ही अदा किया गया।

अपने उपरोक्त निर्माण के दौरान उक्त कम्पनी के द्वारा प्रार्थी की हरिल में स्थित भूमिघरी भूमि के खाता संख्या— 000053 के खसरा संख्या— 4659 मध्ये 32 वर्गमीटर भूमि अवैध रूप से अतिक्रमित कर इस पर बिना प्रार्थी की राय व इच्छा व संज्ञान के बिना उक्त खसरा नम्बर के 32 वर्गमीटर पुल अबेन्टमेन्ट भूमाग पर अपना विस्तारित कर अतिक्रमण कर दिया गया था। इसके अलावा लगभग 100 वर्गमीटर भूमि एप्रोजेमेन्ट मोटर मार्ग के लिए भी अतिक्रमण किया जा चुका है। जिसके लिए मेरे अधिवक्ता द्वारा विभाग को नोटिस कर दिया गया है जिसका अभी मुझे कोई जवाब या सूचना नहीं दी गई बिना मेरी अनुमति व अनुपस्थिति में जिसका विभाग द्वारा अतिक्रमण किया गया। जिसका नोटिस आपको प्रेषित है।

इसके बाद उपरोक्त कम्पनी के लिखित अनुबन्ध दिनांक— 06.12.2021 तथा कम्पनी व प्रार्थी के मध्य कम्पनी की ओर से एक बैठक आयोजित कर दिनांक— 17.12.2021 को बने कार्यवृत्त के अनुसार उपरोक्त कार्य नहीं करवा सकी, जबकि इस संदर्भ में कम्पनी को कई बार लिखित व मौखिक तलब तकाजा भी किया गया, लेकिन इसके बाबजूद भी कम्पनी मालिक श्री संजय ढोड़ी द्वारा प्रार्थी की मौजा हरिल में स्थित भूमिघरी भूमि से अपने निर्माण सामग्री, मशीनरी, कंटेनर आदि हटाने के बजाय प्रार्थी की उपरोक्त भूमि को जगह—2 से खुद बुर्द व तोड़फोड़ कर उपरोक्त भूमि से अपने निर्माण कार्य हेतु गलत, अवैध व अनुचित तरीके से कानून व खनन नियमावली को ताक पर रखते हुये प्रार्थी की निजी भूमिघरी सम्पति पर प्रार्थी की अनुपस्थिति में अवैध खनन करते हुये भूमि को क्षतिग्रस्त किया गया है।

उल्लेखनीय है कि श्री संजय ढोड़ी की कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा मेरी निजी भूमि पर बिना मेरी राय व इच्छा के मनमाने रूप से किये गये अवैध खनन कर मुझे पहुंचायी गयी क्षति की जांच जब मेरे द्वारा परगना मजिस्ट्रेट भटवाड़ी को प्रेषित शिकायत के माध्यम से करवायी गयी तो उपरोक्त मामले में राजस्व उपनिरीक्षक शाला बागरी द्वारा की गयी जांच में स्पष्ट हुआ है कि संजय ढोड़ी द्वारा मेरी करीब 17X18 मीटर लम्बाई—चौड़ाई के भूमाग को काटकर अवैध खनन किया गया है। जिससे मुझे उपरोक्त भूमि को हुयी क्षति को पूर्व की भाँति भूमि को सही करने में करीब 5 लाख रुपये से अधिक का खर्च वहन करना पड़ेगा। जिसकी अवायगी का समस्त उत्तरदायित्व उपरोक्त ठेकेदार संजय ढोड़ी एवं विभाग उत्तरदायी है। की कम्पनी पर है।

विपक्षी ठेकेदार द्वारा उपरोक्त अवैध कठान व खनन की प्रतिपूर्ति के रूप में आपके विभाग द्वारा प्रार्थी को अपने विभागीय पत्र दिनांक- 16.12.2021 को बैठक में वार्ता हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके परिपेक्ष्य में प्रार्थी तथा आपके विभागीय अभियंताओं की उपस्थिति में हुयी बैठक में एक लिखत एप्रीमेण्ट विपक्षी कम्पनी के प्रतिनिधि श्री अभिनव ढोटी तथा प्रार्थी के मध्य निषादित हुआ जिसमें यह तय हुआ था कि दिनांक- 01.01.2022 तक विपक्षी कम्पनी प्रार्थी की काटी गयी भूमि का भरान पूर्ववत कर इस भूमि पर रखा अपना समस्त मटीरियल व मशीनरी हटा लेगी तथा जो भूमि क्षतिग्रस्त की गयी, उसकी एवज में 3,50,000.00 रुपये का चेक निर्गत किया गया तथा उक्त शर्तों को पूरा न करने पर उक्त धनराशि का तीन गुना 10,50,000.00 रुपये अदा करने का लिखित अभिवचन दिया गया था।

अत्यंत खेद का विषय है कि विपक्षी द्वारा जारी उपरोक्त चैक दिनांक- 30.01.2022 भी बैंक में प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा खाते में अपर्याप्त निधि होने के कारण अनादरित कर दिया गया था।

अत्यंत खेद का विषय है कि ठेकेदार संजय ढोटी द्वारा एवं सम्बन्धित विभाग में उपरोक्त निजी भूमि को प्रयोग में लाने के संदर्भ में समझ गवाहान व आपके विभागीय अभियंताओं की उपस्थिति में निषादित बैठक के कार्यपूर्त दिनांक- 17.12.2021 के पैरा संख्या- 02 की शर्त में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि संजय ढोटी द्वारा मेरी जो भूमि अपने निर्माण कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त की गयी है, उसका भरान कम्पनी द्वारा दिनांक- 07.01.2022 तक कर दिया जायेगा, लेकिन आज 22 माह की अवधि ब्यतीत होने पर भी कम्पनी / ठेकेदार द्वारा अपनी लिखित शर्त का कोई अनुपालन नहीं किया गया, और मेरी उपरोक्त भूमि पर जो भी मटीरियल व अन्य मशीनरी रखी थी को भी विपक्षी ठेकेदार द्वारा माह दिसंबर 2022 में हटायी गयी जो लिखित अनुबन्ध का घोर उलंघन है।

इसके बाद उपरोक्त ठेकेदार संजय ढोटी द्वारा प्रार्थी को जानबूझकर तुकसान पहुंचाने की गरज से प्रार्थी के उपरोक्त भूमि पर बैठे होटल का वाहन आने-जाने का मार्ग बाधित करने की गरज से मेरे व्यवहारी का इस भूमि पर बने 14 फिट चौड़े व 07 फिट ऊंचे क्षेत्रफल वाले मुख्यद्वार के पक्के सीमेन्टड पिल्लर से अवैध व अनधिकृत तरीके स्टाकर अपने उपरोक्त हरिल-बगोरी पुल मोटर मार्ग की दीवार निर्मित कर दी है तथा इस अवैध अतिक्रम के दौरान प्रार्थी का पक्का लोहे का गेट भी तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया था।

स्पष्ट है कि इस प्रकार उपरोक्त विपक्षी कम्पनी द्वारा बार-बार प्रार्थी के साथ धोखाधाड़ी व ठगी कर प्रार्थी की भूमि को अपने गलत व अनधिकृत प्रयोग के लिये इस्तेमाल किया गया, जिससे प्रार्थी को लगातार लाखों रुपयों की आर्थिक हानि व आज दिन तक 21,56,000.00 रुपये (इक्कीस लाख छप्पन हजार) की प्रत्यक्ष क्षति आय के रूप में हुयी है,

जिसकी अदायगी का समस्त उत्तरदायित्व उक्त विषयी निर्माण कम्पनी एवं सम्बन्धित विभाग पर है, जिसका भुगतान उसके द्वारा नहीं किया गया है जबकि विषयी कम्पनी द्वारा आपका उपरोक्त विभागीय पुल निर्माण कार्य वर्तमान में समाप्त की करार पर है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि उपरोक्त टेकेदार द्वारा आपके विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में निष्पादित लिखित एग्रीमेंट तथा लिखित अभियन्ताओं का कोई अनुपालन न कर प्रार्थी को पहुंचायी गयी आर्थिक हानि व उस पर प्रार्थी की वर्तमान में चल रही देनदारी आज दिन तक 21,56,000.00 रुपये (इक्कीस लाख छप्पन हजार) की प्रत्यक्ष क्षति आय के रूप में तथा अनादरित चेक पर वर्णित राशि 3,50,000.00 रुपये की धनरक्षि का भुगतान विषयी निर्माण कम्पनी वैली कंस्ट्रक्शन के कुल भुगतान एवं उसकी विभाग में जमा प्रतिशुति राशि मध्ये कटौती कर प्रार्थी को दिलवाये जाने तथा विषयी कम्पनी द्वारा लिखित एग्रीमेंट के अनुसार मेरी काटी गयी भूमि की भरान व सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य पूर्ण करवाने की कृपा की जाय, अन्यथा यह माना जायेगा कि आपका विभाग भी उक्त कम्पनी के साथ उपरोक्त अनियमितता मामले में बराबर का भागीदार है और युझे विभाग के विकल्प भी आवश्यक कानूनी कार्यवाही हेतु विवश होना पड़ेगा।

इस सम्बन्ध में द्वारा आपके खण्डीय अधिकारी अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता कार्यलय पर जाकर लिखित एवं मौखिक अनुरोध किया गया किन्तु आपके अधीनस्थ अधिकारीयों द्वारा युझे गुमराह किया जाता रहा है। महोदय यदि 15 दिन के अन्तर्गत यह प्रकरण आपके द्वारा निस्तारित नहीं किया जाता तो युझे विवश होकर राईय मानविकार आयोग तथा सख्तम न्यायालय में बाद दायर करने हेतु विवश होना पड़ेगा जिसका हर्जा खर्च कि जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

दिनांक- ५ - १० - २३

प्रतिलिपि- अधिकारी अभियन्ता अधिकारी अभियन्ता विषय बैंक खण्ड URDP-AF UTTARKASHI

भवदीय

(लाल्ही सिंह बिष्ट)

३८५

परगना मणिस्ट्रेट महोदय,
मटवाडी, जिला उत्तरकाशी।

प्रार्थी— लाखी सिंह विद्युत उम करीव 65 वर्ष पुत्र श्री शर सिंह निवासी ज्ञानमृृ वाड
संख्या- 11, थाना कोटवाली उत्तरकाशी।

—४८—

विपक्षीपाण— 1— श्री अभिनव दोडी पुत्र श्री संजय दोडी प्रतिनिधि “म० वैली कर्स्टक्सन कम्पनी, प्र०लि०, उत्तरकाशी”, निवास जड़ भरत मार्ग, उत्तरकाशी।

2- संजय ढोड़ी पुन गुलशन ढोड़ी ग्रो वैली कंस्ट्रक्शन कम्पनी, जड़
भरत मार्ग, उत्तरकाशी।

四

प्रार्थी निम्न प्रार्थना सेवा में प्रस्तुत करता है :-

1- यह कि विष्फी संख्या-01 की उपरोक्त कम्पनी "मै0 वेली करद्रवक्सन कम्पनी, प्रा०ल०, उत्तरकाशी" के नाम हर्षिल बगोरी मोटर मार्ग में भागीरथी नदी के ऊपर 42 मीटर स्पान के स्टील गार्डर मोटर सेतु निर्माण का कार्य निवेदा पर स्वीकृत था, जिसके निर्माण के दौरान विष्फी संख्या-01 द्वारा प्रार्थी की हर्षिल में स्थित भूमिधरी भूमि को अपनी निर्माण सामग्री व मशीनी रखने हेतु प्रयोग में लाया गया था, जिसकी एवज में विष्फीणों की कम्पनी को प्रार्थी को एक लिखित अनुबन्ध के अनुसार 5,000.00 रुपये प्रतिमाह किया जाना था। साथ ही 28 फिट चौड़ी व 30 फिट लंबी भूमि पर 04 ब्लाक जिसमें 36 कॉलम जिनकी गहराई 1.5 मीटर और ऊंचाई 90 सेमी० एवं 90X90 सेमी० की रापट तथा 36 पाइप 06 मीटर ऊंचे एवं भूल से 03 फिट चौड़ी एवं ऊंचाई 3.5 मीटर पर सीलिंग पाइप भी आप नोटिसी की

THURSDAY

केचाई 90 स०मा० ५७ ७०४९७० त०मा० का ८८८
सीट्टर कंचाई पर सीलिंग पाइप एवं इसी प्रकार ०६
कोम्पनी द्वारा प्रार्थी हेतु निर्मित कर दिया जाना था।

22-6-2021 यह कि विपक्षीणों की उपरोक्त कम्पनी लिखित अनुबन्ध दिनांक- 06.12.2021 तथा विपक्षीणों की कम्पनी व प्रार्थी के मध्य कम्पनी की ओर से एक बैठक आयोजित कर दिनांक- 17.12.2021 को बने कार्यवृत्त के अनुसार उपरोक्त कार्य नहीं करवा सके, जबकि इस संदर्भ में विपक्षीणों की कम्पनी को कई बार लिखित व मौखिक तलब तकाजा भी किया गया, लेकिन इसके बाबजूद भी विपक्षीणों द्वारा बजाय प्रार्थी की मौजा हस्तिल में स्थित भूमिघरी भूमि से अपने निर्माण सामग्री, मशीनरी, कंटेनर आदि हटाने के प्रार्थी की उपरोक्त भूमि को जगह-2 से खुद बुद्ध व तोडफोड कर उपरोक्त भूमि से अपने निर्माण कार्य हेतु गलत, अवैध व अनुचित तरीके से कानून

1

三

202

八

1909.6.26.2
1909.6.26.2
1909.6.26.2

व खनन नियमावली को ताक पर रखते हुये प्रार्थी की निजी भूमियाँ सम्पति पर प्रार्थी की अनुपस्थिति में अवैध खनन करते हुये भूमि को क्षतिग्रस्त किया गया है।

3— यह कि विपक्षीणों की कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा प्रार्थी की निजी भूमि पर बिना प्रार्थी की राय व इच्छा के मनमाने रूप से किये गये औंडा खनन कर प्रार्थी को पहुंचायी गयी क्षति की जांच जब प्रार्थी द्वारा आपको प्रेषित शिकायत के माध्यम से करवायी गयी तो उपरोक्त मामले में राजस्व उपनिरीक्षक ज्ञाला बगोरी द्वारा की गयी जांच में स्पष्ट हुआ है कि विपक्षीणों द्वारा प्रार्थी की करीब 17X18 मीटर लम्बाई-चौड़ाई के भूमांग को प्रार्थी की भूमि को काटकर अवैध खनन किया गया है। जिससे प्रार्थी की उपरोक्त भूमि को हुयी क्षति को प्रार्थी को पूर्व की भूमि को सही करने में कठिन 5 लाख रुपये से अधिक का खर्च वहन किया गया। जिसकी अदायगी का समस्त उत्तरदायित विपक्षीणों की कम्पनी पर है।

4— यह कि अत्यंत खेद का विषय है कि विपक्षीणों द्वारा स्वयं प्रार्थी की उपरोक्त निजी भूमि को प्रयोग में लाने के संदर्भ में समझ गवाहान व अभियंताओं की उपस्थिति में निषादित बैठक के कार्यवृत्त दिनांक— 17.12.2021 के पैरा संख्या— 02 की शर्त में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि विपक्षीणों द्वारा प्रार्थी की जो भूमि अपने निर्माण कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त की गयी है, उसका भरान विपक्षीणों द्वारा दिनांक— 07.01.2022 तक कर दिया जायेगा, लेकिन आज तीन माह की अवधि ल्यतीत होने पर भी विपक्षीणों द्वारा अपनी लिखित शर्त का कोई अनुपालन नहीं किया गया, न ही शर्त संख्या—03 के अनुसार प्रार्थी की उपरोक्त भूमि से आज दिन तक अपनी निर्माण सामग्री को हटाया गया है, जो लिखित अनुबन्ध का घोर उलंघन है। जिस कारण विधि के क्रम में विपक्षीणों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाये जाने से पूर्व विपक्षीणों को प्रार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक— 30.03.2022 को कानूनी नोटिस प्रेषित किया गया लेकिन विपक्षीणों द्वारा न तो क्षतिग्रस्त की गयी भूमि को ठीक कर पूर्ववत् स्थिति में किया गया न ही उसका कोई किराया / हर्जना आज दिन तक प्रार्थी को अदा किया गया।

5— यह कि दिनांक— 12.04.2022 को स्थान हरिल निवासी प्रार्थी के परिचय एक सख्त द्वारा प्रार्थी को दृश्यात् के माध्यम से सूचना दी गयी कि उपरोक्त विपक्षीणों ने कानूनी नोटिस प्राप्त होने के बाद प्रार्थी को उसकी भूमि का किराया अदा करने व भूमि का हर्जना / किराया अदा करने के बजाय उल्टा प्रार्थी की उपरोक्त भूमि पर सुखा के लिहाज से लगाये प्रार्थी के लोहे के गेट जो 12X12 के साइज में है को प्रार्थी की भूमि पर अपना बड़ा द्रक युसाकर क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे प्रार्थी को करीब 20 हजार रुपये से अधिक की आर्थिक हानि हुयी है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि विपक्षीणों को प्रार्थी की उपरोक्त भूमि से हटाने हेतु थाना हरिल को आदेश पारित कर विपक्षीणों द्वारा प्रार्थी को पहुंचायी गयी क्षति के लिये भारदृसं सो की सुरक्षात् धाराओं में अग्रियोग पंजीकृत करने के आदेश पारित करने की महती कृपा की जाय।

दिनांक— 16.04.2021

卷之三

~~300~~ 300

مکالمہ

1. Water - Water is the most abundant substance on Earth. It is essential for all life. Water has a high specific heat, which means it takes more energy to raise its temperature than other substances. This is why water keeps you cold when you swim in the ocean. Water also has a high latent heat of fusion and evaporation, which means it absorbs or releases a lot of energy when it changes state. For example, when ice melts, it absorbs heat from the surroundings, which causes the surroundings to cool.

2. Wind - Wind is air in motion. It is caused by the difference in temperature between the Earth's surface and the atmosphere. When the air is warmer near the surface, it expands and becomes less dense. This causes the air to rise, which creates a low pressure area. As air from higher upward atmospheric layers flows into this area, it creates wind.

3. Sunlight - Sunlight is the energy from the sun. It is essential for all life on Earth. Sunlight is converted into chemical energy through photosynthesis, which occurs in plants and algae. Photosynthesis uses sunlight, water, and carbon dioxide to produce glucose and oxygen. Glucose is used as fuel by all living things, while oxygen is released into the atmosphere.

۲۰۷

दिनांक-17.12.2021 को श्री लाखी सिंह विष्ट, पुत्र श्री शेर सिंह विष्ट, जगमोहन सिंह विष्ट (जी हरि एसेसिएटस) ज्ञानसू उत्तरकाशी, द्वारा की गयी शिकायत के निस्तारण हेतु बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :-

1. इ० अभिषेक तिवारी, सहायक अभियन्ता विश्व बैंक खण्ड, य०८०१०आर००१०-४०५०० उत्तरकाशी।
2. इ० अरुण कुमर, आर०१० TPF Getinsa Eurostudios, DSC-01 उत्तरकाशी।
3. श्री संजय ढोड़ी, मै० वैती कन्सट्रक्शन कम्पनी प्राठिलो के प्रतिनिधि श्री अभिनव ढोड़ी
4. श्री लाखी सिंह विष्ट शिकायतकर्ता ज्ञानसू उत्तरकाशी।
5. श्री राम गोपाल ज्ञानसू उत्तरकाशी।
6. श्री जगमोहन विष्ट, शिकायतकर्ता ज्ञानसू उत्तरकाशी।

कार्य का नाम :- जनपद उत्तरकाशी में विश्व बैंक प्रौद्योगिका की अतिरिक्त फाइनैंसिंग में स्वीकृत हव्विल-बगोरी मोटर मार्ग में भागीरथी नदी पर 42 मीटर स्पान के स्टील गड्डर मोटर सेपु का निर्माण कार्य से सम्बन्धित शिकायत के निस्तारण के सम्बन्ध में।

विष्यक शिकायत के निस्तारण हेतु कार्यालय सहायक अभियन्ता विश्व बैंक खण्ड, य०८०१०आर००१०-४०५०० उत्तरकाशी के पत्र संख्या केम्प-१/हर्सिल/विश्व बैंक खण्ड / २०२१ दिनांक-१६.१२.२०२१ के द्वारा सम्बन्धित टेकेदार एवं शिकायतकर्ता को दिनांक-१७.१२.२०२१ को शिकायत के निस्तारण के सम्बन्ध में बैठक में उपस्थित होने हेतु लिखा गया था जिसके अनुपालन में टेकेदार श्री संजय ढोड़ी, मै० वैती कन्सट्रक्शन कम्पनी प्राठिलो के प्रतिनिधि श्री अभिनव ढोड़ी एवं शिकायतकर्ता द्वारा उक्त बैठक में प्रतिनिधित्व किया गया।
शिकायतकर्ता के पत्र संख्या- शून्य दिनांक-०६.१२.२०२१ के अनुसार अनुबन्ध पत्र किरायानामा तेयार किया गया था जिसमें सेतु निर्माण सम्बन्धित सामग्री एवं रोडी बजरी, सामान रखने हेतु उनके द्वारा अपनी भूमि दी गयी थी जिसका किराया रु० ५०००.०० (पाँच हजार) प्रति नाह तय हुआ था एवं रु० ५०००.०० (पाँच हजार) मासिक के बदले में उक्त वर्गित भूमि मध्ये २८ रु० ५०००.०० (पाँच हजार) प्रति नाह तय हुआ था एवं १.५ मीटर गहराई, एवं ९० सेमी ऊंचाई वाले कॉलम फुट चौड़ी व ३० फुट लम्बी भूमि पर चार छाँक जिसमें ३६ कॉलम जिनकी १.५ मीटर गहराई, एवं ९० सेमी ऊंचाई वाले कॉलम फुट चौड़ी व ३० फुट लम्बी भूमि पर सीलिंग पाईप एवं इसी प्रकार एवं १०X९० सेमी० की राफट तथा ३६ पाईप ०६ मीटर उच्चे एवं भूतल से ०३ मीटर ऊंचाई पर सीलिंग पाईप एवं इसी प्रकार ०६ मीटर पर सीलिंग पाईप द्वारा निर्मित किया जाना तथ हुआ था जिसका खर्च लगभग रु० ३५०,०००.०० (तीन लाख पचास हजार) मात्र आता है जिसका भुगतान श्री संजय ढोड़ी द्वारा अपने चैक संख्या ८२८२४३ दिनांक-३०/१/२२ के द्वारा शिकायतकर्ता श्री लाखी सिंह विष्ट, जगमोहन विष्ट (जी हरि एसेसिएटस) ज्ञानसू उत्तरकाशी को कर दिया गया है।

2. शर्त संख्या-२ के अनुसार शिकायतकर्ता की जो भूमि टेकेदार श्री संजय ढोड़ी, मै० वैती कन्सट्रक्शन कम्पनी प्राठिलो के प्रतिनिधि श्री अभिनव ढोड़ी द्वारा क्षतिग्रस्त की गयी है उसका भरान टेकेदार द्वारा दिनांक-०७.०१.२०२२ तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
3. शर्त संख्या-०३ के अनुसार टेकेदार श्री संजय ढोड़ी, मै० वैती कन्सट्रक्शन कम्पनी प्राठिलो के प्रतिनिधि द्वारा दिनांक-०७.०१.२०२२ तक शिकायतकर्ता श्री लाखी सिंह विष्ट की भूमि से सभी प्रकार की सामग्री को हटा लिया जायेगा।

- उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर टेकेदार श्री संजय ढोड़ी, मै० वैती कन्सट्रक्शन कम्पनी प्राठिलो के प्रतिनिधि श्री अभिनव ढोड़ी उपरोक्त अंतिम धनराशि का तीन गुना (रु० १०,५०,०००.००) सुगतान श्री लाखी सिंह विष्ट को किया जायेगा तथा उक्त धनराशि का उपालन श्री लाखी सिंह विष्ट द्वारा कोई भी अधिम कारबाई नहीं की जायेगी।

श्री अभिनव ढोड़ी
टेकेदार के प्रतिनिधि

श्री लाखी सिंह विष्ट
शिकायतकर्ता

श्री रामगोपाल पेन्लू
शिकायतकर्ता

सहायक अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड UDNP-AF
उत्तरकाशी।

रेसीडेंट इंजीनियर
डी०एस०सी०-०१
उत्तरकाशी।

श्री जगमोहन विष्ट
शिकायतकर्ता

**ovind Singh
Advocate**



*Chamber No. 19, District
Judge court premises,
Uttarkashi.
Mob.*

Ref.....

Date- 10 August, 2023

पंजीकृत / एडी

- प्रेषित-
- 1- वैली कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राइलि, द्वारा प्रो संजय डोटी कार्यालय जड़ भरत मार्ग, उत्तरकाशी।
 - 2- अधिशासी अभियंता, विश्वेंक खंड, यूडीआरपी-एफ, उत्तरकाशी।
 - 3- रेजिडेंट इंजीनियर, TPF, Getinsr, Eurostudios, in Association with Vertex उत्तरकाशी।
 - 4- उत्तराखण्ड राज्य, द्वारा कलक्टर, जनपद उत्तरकाशी।

नोटिस ह०द०- ८० सिविल प्रक्रिया संहिता।

अजतरफ व्यवहारी- श्री लाखी सिंह बिष्ट उम्र करीब 70 वर्ष पुत्र स्वर्ण श्री शेर सिंह निवासी ज्ञानसू वार्ड संख्या- 11, तहसील भटवाड़ी, उत्तरकाशी महोदय,

मुझे अपने उपरोक्त व्यवहारी के निर्देशानुसार व उनकी ओर से आपको निम्नांकित तथ्यों पर अधिकृत विधिक नोटिस प्रेषित करना है:-

- 1- यह कि जैसा कि आप नोटिसीण संख्या-02 से 04 के संज्ञान में है कि आप नोटिसी संख्या-01 के नाम हर्षिल बोरी मोटर मार्ग कार्य निविदा पर स्वीकृत है, जिसके निर्माण के दौरान आप नोटिसी संख्या-01 द्वारा मेरे मुविकल की हर्षिल में स्थित भूमियों भूमि के खाता संख्या- 00053 के खसरा संख्या- 4659 मध्ये 36 वर्गमीटर भूमि अवैध रूप से अतिक्रमित कर इस पर बिना मेरे व्यवहारी की राय व इच्छा व उसके संज्ञान के बिना उक्त खसरा नम्बर के 36 वर्गमीटर भूमांग पर अपना मोटर

*उत्तरकाशी
ज्ञानसू
वार्ड
संख्या-11
तहसील
भटवाड़ी
उत्तरकाशी
महोदय*

Govind Singh Advocate



Chamber No. 19, District
Judge court premises,
Uttarkashi.
Mob.

Ref.....

मार्ग विस्तरित कर अतिक्रमण कर दिया गया था, जिसके संदर्भ में मेरे व्यवहारी द्वारा आप नोटिसीणों को कई बार लिखित व मौखिक रूप से सूचित किया गया था।

2- यह कि हाल ही में मेरा व्यवहारी जब अपने किसी सो रिश्तेदार की आकस्मिक मृत्यु होने पर अपने गांव दूरस्थ क्षेत्र लम्बगांव जिला टिहरी गढ़वाल में था, तो इसी मध्य आप नोटिसी संख्या-01 द्वारा सम्बन्धित: आप नोटिसी संख्या-02 व 03 की. शह पर व इनसे मिलीभगत कर मेरे व्यवहारी को जानबूझकर गुकसान पहुंचने की गरज से मेरे व्यवहारी के उपरोक्त भूमि पर बों होटल का बाहन आने-जाने का मार्ग बाधित करने की गरज से मेरे व्यवहारी का इस भूमि पर बने 14 फिट चौड़े व 07 फिट ऊंचे क्षेत्रफल वाले मुख्यद्वार के पक्के सीमेन्टेड पिल्लर से अवैध व अनधिकृत तरीके स्टाकर अपने उपरोक्त हार्षिल-बगोरी मोटर मार्ग की दीवार निर्मित कर दी है।

3- यह कि दिनांक- 09.08.2023 को जब मेरा व्यवहारी अपने गांव से वापस उत्तरकाशी आया तो हर्षिल पहुंचने पर पता चला कि आप नोटिसी संख्या-01 द्वारा नोटिसी संख्या-02 व 03 से अवैध सांठ गांठ कर मेरे व्यवहारी के मालिकाना व स्वत्वसुदा होटल के मुख्यद्वार के पिल्लर से अपने मोटर मार्ग की दीवार को स्टाकर निर्मित कर दिया है, जिससे मेरे व्यवहारी के उपरोक्त भूमि के समीप बने होटल तक बड़े बहनों के अन्दर बाहर आने-जाने में गारी दिक्कतें होंगी और मेरे व्यवहारी को आप नोटिसीण संख्या-01 से 03 की इस अवैध, अनधिकृत व मनमाना कार्यवाही से भारी आर्थिक व मानसिक क्षति का सामना करना पड़ेगा।

4- यह कि यद्यपि आप नोटिसी संख्या-04 से मेरे व्यवहारी को कोई सीधा अनुतोष प्राप्त नहीं करना है, लेकिन नोटिसी संख्या-02 व 03 का आपका मातहत सरकारी प्रतिभान होने तथा आपका उत्तराखण्ड सरकार का जनपदीय प्रतिनिधि होने तथा भविष्य में नोटिसीण संख्या-01 से 03 के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में क्षतिपूर्ति वाद दायर करने के कारण आपको आवश्यक कानूनी प्रकार होने के नाते यह नोटिस प्रेषित किया जा रहा है।

Date- August, 2022

Govind Singh Advocate



Chamber No. 19, District
Judge court premises,
Uttarkashi.
Mob.

Ref.....

Date- August, 2022

अतः आपको इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि आप नोटिसी संख्या-01 से 03 इस नोटिस प्राप्ति के तत्काल बाद मेरे व्यवहारी की उपरोक्त भूमि पर बने मेरे व्यवहारी के होटल तक जाने वाले मुख्यद्वार से उसकी भूमि पर सटायी गयी अपनी मोटर मार्ग की अवैध दीवार का जितना हिस्सा जहाँ-जहाँ से मेरे व्यवहारी की भूमि को अतिक्रमित कर कर्ब में निर्मित किया गया है, उसे वहां से अपने खर्चे पर हटा देवें तथा आपके द्वारा पूर्व में मेरे व्यवहारी की भूमि का जो 36 वर्गमीटर भूमि हड्डप कर इस पर मोटर मार्ग निर्मित किया गया, उसका भी वर्तमान भूमि दरों पर प्रतिकर अदा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा मेरे व्यवहारी को विवश होकर नोटिस की कानूनी अवधि समाप्त होने पर दीवानी तथा फौजदारी बाद दायर करने होगे जिसके समस्त हर्जे खर्चे का समस्त उत्तरदायित्व मय इस नोटिस फीस 3,000.00 रुपये की देनदारी आपकी होगी। नोटिस की प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु सुरक्षित है।

भवदीय

राजस्थान राजस्थान
एडवोकेट
(गोविन्द सिंह)
एडवोकेट

पंजीकृत/एडी

१०
१

सेवामें,

सहायक अधिकारी प्रोटोकॉल,

विषय बैंक खण्ड, यूडीआरपी-एफ,

जनपद- उत्तरकाशी।

प्रार्थी-

श्री लाल्ही सिंह पिट उम्र करीब 65 वर्ष पुरुष श्री शेर सिंह निवासी ज्ञानसू वार्ड संख्या- 11, थाना कोतवाली, उत्तरकाशी।

विषय-

वैली कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राइलि०, उत्तरकाशी द्वारा हर्षिल बगोरी मोटर मार्ग में भागीरथी नदी के ऊपर 42 मीटर ल्यान के स्टील गार्डर मोटर सेतु निर्माण के दौरान प्रार्थी की भूमि को प्रयोग में लाने के संदर्भ में वने बैठक कार्यवृत्त दिनांक- 07.01.2022 का कोई अनुपालन न करने के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के कम में अत्यंत स्वेद के साथ अवगत कराना है कि जैसा कि आपको विदित है कि “८० वैली कंस्ट्रक्शन कम्पनी, प्राइलि०, उत्तरकाशी” के नाम हर्षिल बगोरी मोटर मार्ग में भागीरथी नदी के ऊपर 42 मीटर ल्यान के स्टील गार्डर मोटर सेतु निर्माण का कार्य निविदा पर स्वीकृत था, जिसके निर्माण के दौरान कम्पनी द्वारा प्रार्थी की हर्षिल में स्थित भूमियाँ भूमि को अपनी निर्माण सामग्री व मशीनरी रखने हेतु प्रयोग में लाया गया था, जिसकी एवज में कम्पनी को प्रार्थी को एक लिखित अनुबन्ध के अनुसार 5,000.00 रुपये प्रतिमाह किसाया अदा किया जाना था। साथ ही 28 फिट चौड़ी व 30 फिट लम्बी भूमि पर 04 ब्लाक जिसमें 36 कॉलम जिनकी गहराई 1.5 मीटर और ऊंचाई 90 सेमी० एवं 90X90 सेमी० की रापत तथा 36 पाइप 06 मीटर कंचे एवं भूल ल से 03 मीटर कंचाई एवं रीलिंग पाइप एवं इसी प्रकार 06 मीटर पर सीलिंग पाइप भी कम्पनी द्वारा प्रार्थी हेतु निर्मित कर दिया जाना था लेकिन उपरोक्त कम्पनी लिखित अनुबन्ध दिनांक- 06.12.2021 तथा कामपनी व ग्रामी के मध्य कम्पनी की ओर से एक बैठक आयोजित कर दिनांक- 17.12.2021 को बने कार्यवृत्त के अनुसार उपरोक्त काम नहीं करवा सकी, जबकि इस संदर्भ में कम्पनी को कई बार लिखित व नौक्रिक तलब तकाजा भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी कम्पनी गालिक श्री संजय ठोड़ी दूरा दूजाय प्रार्थी की भूमि हर्षिल में स्थित भूमियाँ भूमि से अपने निर्माण सामग्री, मशीनरी, कंटेनर आदि हटाने के प्रार्थी की उपरोक्त भूमि को जगह-2 से खुद बुर्द व तोड़फोड़ कर उपरोक्त भूमि से अपने निर्माण कार्य हेतु गलत, अवैध व अनुचित तरीके से कानून व खाना नियमावली को ताक पर रखते हुये प्रार्थी की निजी भूमियाँ सम्पति पर प्रार्थी की अनुपरिधि में अवैध रूपनं करते हुये भूमि का सातिष्ठस्त किया गया है।

१०
१२

उल्लेखनीय है कि श्री संजय ढोड़ी की कारबूकसन कम्पनी द्वारा मेरे निजी भूमि पर बिना मेरी राय व इच्छा के मनमाने रूप से किये गये अवैध खनन कर मुझे पहुंचायी गयी थति की जांच जब मेरे द्वारा परमाना मजिस्ट्रेट भटवाड़ी को प्रेषित शिकायत के माध्यम से करवायी गयी तो उपरोक्त मामले में राजस्व उपनिवेशक आला बगारी द्वारा की गयी जांच में सफ्ट हुआ है कि संजय ढोड़ी द्वारा मेरी करीब 17X18 मीटर लम्बाई-चौड़ाई के भूमांग को को काटकर अवैध खनन किया गया है। जिससे मुझे उपरोक्त भूमि को हुयी थति को पूर्व की भाँति भूमि को सही करने में कठिन 5 लाख रुपये से अधिक का खर्च वहन करना पड़ेगा। जिसकी अदायगी का समर्त उत्तरदायित्व उपरोक्त ठेकेदार संजय ढोड़ी की कम्पनी पर है।

अत्यंत खेद का विषय है कि ठेकेदार संजय ढोड़ी द्वारा स्वयं मेरी उपरोक्त निजी भूमि को प्रयोग में लाने के संदर्भ में सामृद्ध गवाहान व आपके विभागीय अभियंताओं की उपस्थिति में निषादित बैठक के कार्यवृत्त दिनांक- 17. 12.2021 के पैरा संख्या- 02 की शर्त में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि संजय ढोड़ी द्वारा मेरी जो भूमि अपने निर्माण कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त की गयी है, उसका भरान कम्पनी द्वारा दिनांक- 07.01.2022 तक कर दिया जायेगा, लेकिन आज तीन माह की अवधि ब्यतीत होने पर भी कम्पनी/ ठेकेदार द्वारा अपनी लिखित शर्त का कोई अनुपालन नहीं किया गया, न ही शर्त संख्या-03 के अनुसार मेरी उपरोक्त भूमि से आज दिन तक अपनी निर्माण सम्पत्ति को हटाया गया है, जो लिखित अनुबन्ध का घोर उलंघन है। साथ ही ३.५०० द्वारा दिया जाना जाएगा, कार्यक्रम का अपस अनुरोध करना है कि जब तक उपरोक्त ठेकेदार श्री संजय ढोड़ी द्वारा मेरी उपरोक्त भूमि को अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ठीक नहीं कर दिया जाता और उस भूमि से अपनी निर्माण सम्पत्ति का भुगतान नहीं किया जाता, तब तक उसका नहीं हटाये जाते व मुझे हुयी थति का भुगतान नहीं किया जाता, तब तक उसका भुगतान रोके जाने की कृपा की जाय, अन्यथा मुझे कानूनी कार्यवाही हेतु विवश होना पड़ेगा, जिसमें मजबूरन विभाग को भी ठेकेदार के साथ मिलीमत करने के लिये पक्षकार बनाना होगा।

२१० २१३१२२

२०२१०९१०२१२२


भवदीय

लाली सिंह बिट २१३१२२

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियंता, विश्ववेद खंड, यूडीआरपी-एफ, उत्तराकाशी।
- 2- ऐजीडेंट इंजीनियर, TPF, Getinsr, Eurostudios, in

Association with Vertex उत्तराकाशी।



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

महाराष्ट्र जायजे

Certificate No.	IN-UK27276738074718T
Certificate Issued Date	16-Jun-2021 04:08 PM
Account Reference	NONACG (SYU UK1221004W UTTAPKASHI UK-UT)
Unique Doc. Reference	SUBIN-UKUK1221004583032646588867T
Purchased by	SANJAY KUMAR DODHI
Description of Document	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	NA
Consideration Price (Rs.)	0 (Zero)
First Party	FIVE ELEMENTS LAKHII SINGH
Second Party	SANJAY KUMAR DODHI
Stamp Duty Paid By	SANJAY KUMAR DODHI
Stamp Duty Amount(Rs.)	100 (One Hundred only)



महाराष्ट्र जायजे
कर्तव्य प्राप्ति संग्रहीत
प्राप्ति कर्तव्य संग्रहीत

..... Please note or input below this line
2021/11/27

Yashwant Singh



Signature Below

- The authenticity of the stamp shall be verified by the concerned authority.
- Any discrepancy in the details on this certificate will be liable for cancellation.
- In case of any discrepancy between the application to the other areas of the website.
- In case of any discrepancy between the document issued by the concerned authority.

..... Please note or input below this line
2021/11/27

Yashwant Singh

..... Please note or input below this line
2021/11/27

..... Please note or input below this line
2021/11/27

इकरारनामा (अनुबन्ध पत्र)

हम के 5 एलिमेंट्स उत्तरकाशी द्वारा श्री लाल्ही सिंह विट उम 65 वर्ष पुरुष श्री शेर सिंह विट निवासी वाई हमने 10 ज्ञानसू तहसील भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी गुजरात / मालिक जिसे किरायानगा में आगे प्रथम पक्ष कहा जाएगा.

四

भावद्वयार्थी जिन्हा उत्तरकार्यार्थी कियोगेताप जिसे विज्ञापनामा मैं भागे दिनेया पक्ष कहा जायेगा।

हम दोनों पक्षकारान अपने होश-हवास, स्वरूपिता, स्थिर युद्ध के रहते हुये, विना किसी नशापान किये, विना द्रव्यात् प्राप्ति के लाभपूर्ण जगहाति ऐसा एक उत्तमात्मा का मनवल पाए तर्हीपै फिरे देखे ॥

1. यह कि मौजा हर्षिल पट्टी टकनौर तहसील भटवाडी जिला उत्तरकाशी में प्रथम पक्ष की निजि भूमिकरी भूमि फसली वर्ष 1427 से 1432 तक के खतोनी खाता सं0 00053 के खसरा सं0 4658 म0 रकवा 0.005 ह0, 4659 रकवा 0.109 ह0 कुल रकवा 0.114 ह0 है, जो प्रथम पक्ष ने हितीय पक्ष को दि0 01.05.2021 से दि0 31.03.2022 तक के लिये मु0 5,000/- (पाँच हजार रु0) मासिक किराये पर किरायेदारी में दे दिया है। किराये की धनराशि मु0 5,000/- (पाँच हजार रु0) मासिक के बदले में उक्त वर्णित भूमि मध्ये 28 फुट चौड़ी व 30 फुट लम्बी भूमि पर चार ब्लॉक जिसमें 36 कॉलम जिनकी 15 मीटर गहराई, एवं 90 सेमी0 कंचाई वाले कॉलम एवं 90x90 सेमी0 की राफट तथा 36 पाईप 06 मीटर ऊंचे एवं भूतल से 03 मीटर कंचाई पर सीलिंग पाईप एवं इसी प्रकार 06 मीटर पर सीलिंग पाईप द्वितीय पक्ष द्वारा निर्मित किया जाना तय है, जिसकी मात्र लेबर पूर्णतः हितीय पक्ष द्वारा देय होगी।

2. यह कि राफट एवं 02 मीटर 40 सेमी के 36 कॉलमों के उपयोग में आने वाली रोड़ी, बजरी द्वितीय

समय पर उपलब्ध करवाना लाजमी होगा ~~निकाला~~ 15/07/2021 २०२१ तक ये

लिहाजा यह इकरारनामा आज दिनांक 16.06.2021 को हमने स्वयं लिखवाकर, पढ़वाकर, पढ़कर,
चुनकर व समझकर निम्नलिखित गवाहाओं के समझ अपने हस्ताक्षर किये देते हैं, ताकि सनद रहे समय पर
काम आवे। ०११
४० द्वितीय पत्र
निवास संगठन, निवास संगठन

द्यानेश्वर पतील

ग्रन्थालय - दिल्ली
पत्रकालीन संस्कृत संस्थान
विजयनगर १८५६-१८७४
पत्रकालीन संस्कृत संस्थान
विजयनगर १८५६-१८७४

ग्रन्थ २-

vind Singh
Advocate



Chamber No. 19, District
Judge court premises,
Uttarkashi.
Mob.-

.....f.....

Date- 27 September, 2023

पंजीकृत / एडी

- षित- 1- वैली कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राइलि, द्वारा प्रो संजय डेली
कार्यालय जड़ भरत मार्ग, उत्तरकाशी।
- 2- अधिशासी अभियंता, विश्ववैदिक खंड, यूडीआरपी-एफ,
उत्तरकाशी।
- 3- रेजीडेण्ट इंजीनियर, TPF, Getinsr, Euroestudios, in
Association with Vertex उत्तरकाशी।
- 4- उत्तराखण्ड राज्य,
द्वारा कलवटर, जनपद उत्तरकाशी।

नोटिस ह००द०- ८० सिविल प्रक्रिया संहिता।

अजतरफ व्यवहारी- श्री लाखी सिंह बिट उम्र करीब 70 वर्ष पुत्र स्वरू प्री शेर सिंह
निवासी ज्ञानसू वार्ड संख्या- 11, तहसील भटवाड़ी, उत्तरकाशी
महोदय,

मुझे अपने उपरोक्त व्यवहारी के निर्देशानुसार व उनकी ओर से आपको
निम्नांकित तथ्यों पर आधारित विधिक नोटिस प्रेषित करना है :-

- 1- यह कि जैसा कि आप नोटिसीगण संख्या-02 से 04 के संज्ञान में है कि आप
नोटिसी संख्या-01 के नाम हर्षिल बोरी मोटर मार्ग कार्य निविदा पर स्वीकृत है,
जिसके निर्माण के दौरान आप नोटिसी संख्या-01 द्वारा मेरे मुवकिल की हरिल में
स्थित भूमिधरी भूमि के खाता संख्या- 00053 के खसरा संख्या- 4659 मध्ये 352
वर्गमीटर भूमि अवैध रूप से अतिक्रमित कर इस पर बिना मेरे व्यवहारी की राय व इच्छा

Govind Singh Advocate



Chamber No. 19, District
Judge court premises,
Uttarkashi.
Mob-

Ref.....

Date- 27 September, 2023

व उसके संज्ञान के बिना उक्त खसरा नम्बर के 36 वर्गमीटर भूमाग पर अपना मोटर मार्ग विस्तरित कर अतिक्रमण कर दिया गया था, जिसके संदर्भ में मेरे व्यवहारी द्वारा आप नोटिसीणों को कई बार लिखित व मौखिक रूप से सूचित किया गया था।

2- यह कि हाल ही में मेरा व्यवहारी जब अपने किसी सगे रिश्टेदार की आकस्मिक मृत्यु होने पर अपने गांव दूरस्थ क्षेत्र लम्बांव जिला टिहरी गढ़वाल में था, तो इसी मध्य आप नोटिसी संख्या-01 द्वारा सम्मिलित: आप नोटिसी संख्या-02 व 03 की शह पर व इनसे मिलीभिगत कर मेरे व्यवहारी को जानबूझकर तुकसान पहुंचाने की गरज से मेरे व्यवहारी के उपरोक्त भूमि पर बने होटल का बाहन आने-जाने का मार्ग बाधित करने की गरज से मेरे व्यवहारी का इस भूमि पर बने 14 फिट बैरु व 07 फिट लंबे क्षेत्रफल वाले मुख्यहार के पक्के सीमेंटेड पिल्लर से अवैध व अनधिकृत तरीके स्थाकर अपने उपरोक्त हर्षिल-बगोरी मोटर मार्ग की दीवार निर्मित कर दी है।

3- यह कि दिनांक- 09.08.2023 को जब मेरा व्यवहारी अपने गांव से वापस उत्तरकाशी आया तो हर्षिल पहुंचने पर पता चला कि आप नोटिसी संख्या-01 द्वारा नोटिसी संख्या-02 व 03 से अवैध सांठ गांठ कर मेरे व्यवहारी के मालिकाना व स्थानसुदा होटल के मुख्यद्वार के पिल्लर से अपने मोटर मार्ग की दीवार को स्थाकर निर्मित कर दिया है, जिससे मेरे व्यवहारी के उपरोक्त भूमि के सभीप बने होटल तक बड़े बाहनों के अन्दर बाहर आने-जाने में गारी दिक्कतें होंगी और मेरे व्यवहारी को आप नोटिसीण संख्या-01 से 03 की इस अवैध, अनधिकृत व मनमाना कार्यवाही से भारी आर्थिक व मानसिक क्षति का सामना करना पड़ेगा।

4- यह कि यद्यपि आप नोटिसी संख्या-04 से मेरे व्यवहारी को कोई सीधा अनुतोष प्राप्त नहीं करना है, लेकिन नोटिसी संख्या-02 व 03 का आपका मातहत सरकारी प्रतिष्ठान होने तथा आपका उत्तराखण्ड सरकार का जनपदीय प्रतिनिधि होने तथा भविष्य में नोटिसीण संख्या-01 से 03 के विलद सक्षम न्यायालय में क्षतिपूति वाद दायर करने के कारण आपको आवश्यक कानूनी पक्षकार होने के नाते यह नोटिस प्रोष्ठित किया जा रहा है।

Govind Singh Advocate



Chamber No. 19, District
Judge court premises,
Uttarkashi.
Mob.

Ref.....

Date- 27 September, 2023

5— यह कि मेरे व्यवहारी द्वारा आप नोटिसीगण संख्या-01 से 04 को उक्त संदर्भ में एक विधिक नोटिस दिनांक- 10.08.2023 को प्रेषित किया गया था। लेकिन इसी मध्य आप नोटिसी संख्या-01 द्वारा उपरोक्त नोटिस ह00- 80 सीपीसी की विधिवत तामिली के बाबजूद भी इस संदर्भ में कोई कार्यवाही न कर मेरे व्यवहारी की उपरोक्त अतिकमित भूमि मध्ये ~~36~~³² वर्गमीटर भूमि जो उपरोक्त वर्णित नोटिस की तिथि तक अतिकमित किया गया था, के स्थान पर मेरे व्यवहारी की लागभग 100 वर्गमीटर से अधिक खसरा संख्या-~~4659~~⁴⁶⁵⁹ के भूमाग पर अपना अवैध दीवार निर्माण कर दिया गया है, जिस कारण आपको यह अंतिम विधिक नोटिस प्रेषित किया जा रहा है।

6— यह कि आप नोटिसी संख्या-01 द्वारा बिना मेरे व्यवहारी द्वारा प्रेषित उपरोक्त वर्णित कानूनी नोटिस जिसकी विधिवत तामिली आप नोटिसी संख्या-01 सहित अन्य नोटिसीगणों पर हुयी थी, इस नोटिस का कोई जबाब प्रेषित न कर सरासर गुण्डार्दी तथा मनमाने तरीके से मेरे व्यवहारी की उपरोक्त भूमिघरी भूमि मध्ये अन्य बची सम्पति पर भी अवैध अतिकमण कर वर्तमान में करीब 100 वर्गमीटर से अधिक भूमाग पर अवैध विभागीय दीवार का निर्माण किया गया है, जो भारतीय दंड विधान की धारा- 427, 452 तथा अन्य संवैधानिक प्राविधिकाओं की विभिन्न धाराओं के तहत घोर आपराधिक व दंडनीय कृत्य भी है। साथ ही आप अन्य नोटिसीगण संख्या-02 से 004 के द्वारा इस संदर्भ में आपके स्तर से नोटिस के अनुपालन में क्या कार्यवाही की गयी, की सूचना मेरे व्यवहारी को उपलब्ध न कराना आपकी उपरोक्त नोटिसी संख्या-01 के साथ कूट संविदा कर मिलीभगत होने की ओर स्पष्ट इशारा करती है।

अतः आपको इस नोटिस द्वारा अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि आप नोटिसी संख्या-01 से 04 इस नोटिस प्राप्ति के तत्काल बाद मेरे व्यवहारी की उपरोक्त भूमि पर बने मेरे व्यवहारी के होटल तक जाने वाले मुख्यद्वार से उसकी भूमि पर सटायी गयी अपनी मोटर मार्ग की अवैध दीवार का जितना हिस्सा जहां-जहां से मेरे व्यवहारी की भूमि को अतिकमित कर कर्ब में निर्मित किया गया है, व इससे पूर्व प्रेषित नोटिस दिनांक- 10.08.2023 के पश्चात आपके द्वारा जो करीब 100 वर्गमीटर भूमाग पर अवैध

Govind Singh Advocate



Chamber No. 19, District
Judge court premises.
Uttarkashi.
Mob.

Ref.....

अतिकमण कर अवैध दीवार का निर्माण किया गया है, उसे वहां से अपने खर्च पर हटाकर मेरे व्यवहारी की उपरोक्त अतिकमित भूमि को पूर्ववत् उसी दशा में कर देवे, जैसे वह अतिकमण व अवैध दीवार से पूर्व थी अथवा उक्त अतिकमित भूमग के बदले उसी दायरे व क्षेत्रफल में मेरे व्यवहारी को अन्यत्र ऐसी ही भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अनथा मेरे व्यवहारी को विवश होकर नोटिस की कानूनी अवधि समाप्त होने पर दीवानी तथा फौजदारी वाद दायर करने होंगे जिसके समर्त हर्जे खर्च का समर्त उत्तरदायित्व मय इस नोटिस फीस 3,000.00 रुपये की देनदारी आपकी होगी। नोटिस की प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु सुरक्षित है।

Date- 27 September, 2023

भवदीय

(गोविन्द सिंह)
एडवोकेट

रोका मे.

भ्रीमान ताहसीलदार महोदय
पटवाडी, जिला उत्तरकाशी।

प्रार्थी- लाखीसिंह बिट्ठ पुत्र भी शेर रिह
निवासी- निकट सरगामी गांवा गोदान, आनंद,
होटल ५ एलीमेन्ट्स, उत्तरकाशी।

विषय- ग्राम हर्षिल के खसरा संख्या 4659 म. रक्वा 0.109 हे. तथा खसरा संख्या 4658 म. रक्वा 0.005 हे. कुल रक्वा 0.114 हे. युमि पर ठेकेदार श्री संजय ठोंडी पुत्र गुलशन कुमार ठोंडी निवासी जङ्गारत मार्ग उत्तरकाशी द्वारा अनुबन्ध की रात्रि के विलङ्घ उल्लंघन कर खेतों का कटाव कर (बन्दोबस्ती सीमाओं) में खुद-बुद्ध करने के सम्बन्ध में जांच आल्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रार्थी लाखीसिंह बिट्ठ द्वारा मौका राजस्व अभिलेखों से चारतीकिं जांच हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 29.11.2021 को श्रीमान परगाना मिजिस्ट्रेट महोदय भटवाडी को सम्बोधित है। कार्यालय उप जिलाधिकारी भटवाडी में कार्यस्त कैयिकितक सहायक के हस्ताक्षरी आदेश दिनांक 29.11.2021 को जांच हेतु प्रार्थी से दिनांक 30.11.2021 को चौकी हाजा पर उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र दिया है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तत्वों का संदर्भ ग्रहण करने का काट करेंगे। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने उल्लिखित किया है कि हाँगिल बगोरी मोटर मार्ग, भागीरथी नदी पुल (एबेटमेंट) निर्माण कर्ता ठेकेदार श्री संजय ठोंडी वेली कन्स्ट्रक्शन के नाम से है और प्रार्थी लाखीसिंह बिट्ठ ने ग्राम हर्षिल में खसरा संख्या 4659 म. रक्वा 0.109 हे. तथा खसरा संख्या 4658 म. रक्वा 0.005 हे. कुल रक्वा 0.114 हे. अर्थात् 1140 वर्ग मी. निर्माण सामग्री मशीनरी एवं कंटेनर आदि सामग्री खेते के लिए अनुबन्ध कर रखा था, लेकिन ठेकेदार संजय ठोंडी ने अनुबन्ध की शर्तों का पालन न कर प्रार्थी की नाम की भूमि को काट-काटकर (खेतों की बन्दोस्ती सीमाओं को) खुद-बुद्ध कर दिया है, जिससे उक्त वर्गेत भूमि के अस्तित्व को भारी खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि भूमि भागीरथी नदी के तल पर आ गई है, इसलिए मौका मुआयना कराने हेतु प्रार्थना की है।

यह कि प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच हेतु दिनांक 30.11.2021 प्राथी सहित भू-अभिलेखों को लेकर मौका किया गया जिसकी जांच आख्या इस प्रकार है-

1. यह कि ग्राम हर्षिल के खाता खतोनी क्रम संख्या 00053 में प्रार्थी होटल ५ एलीमेंट द्वारा लाखीसिंह पुत्र श्री शेरसिंह सहखातेदार झानसू के नाम में दर्ज हैं और खतोनी के परिवर्तन आदेशों के सनम्म 7-12 में खसरा संख्या 4656 म. रक्वा 0.004 है।

द्वारा- ग्रुप

सेवाएँ

परगना गोजिरदेट महोदय,

मठवाडी, जिला उत्तरकाशी।

प्रार्थी-

लाली शिंह बिट पुत्र श्री शेर शिंह निवारी निकट गल्ला
गोदाम, झानसू उत्तरकाशी। मालिक "होटल 5 ऐलीमेण्ट्स", झानसू,
जिला उत्तरकाशी।

विषय-

मौजा हारिल के खसरा संख्या— 4659 मध्ये 0.109 हेक्टेयर तथा खसरा संख्या—
4658 मध्ये 0.005 हेक्टेयर कुल 0.0114 हेक्टेयर भूमि पर ठेकेदार श्री संजय
दोडी पुत्र गुलशन कुमार दोडी, निवारी जडमरत मार्ग, उत्तरकाशी द्वारा
अनुबन्ध की शर्तों का उलंघन कर कटाव व खुद बुद्द करने के संदर्भ में।

महोदय,

*Bh
उपर्युक्त विषयक के क्रम में निवेदन करना है कि प्रार्थी उपरोक्त मौजा हारिल के
उपर्युक्त अन्य लागी भूमि सहित अन्य लागी भूमि का मालिक भूमिधर है तथा इसी प्रकार राजस्य
अभिलेखों में भी दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी एवं एक ठेकेदार श्री संजय दोडी पुत्र गुलशन दोडी
जो देली कर्लदक्षन के नाम से हारिल बागोरी में मोटर रोड व पुलों का निर्माण कर रखा है, के मध्य
काट-काटकर खुद बुद्द कर दिया है जिससे उक्त भूमि के अनुबन्ध हुआ
कर्म न होना चाहिए। अप्रिल 2021 को लेकिन ठेकेदार संजय दोडी ने अनुबन्ध की शर्तों का पालन न कर प्रार्थी की उपत्ति भूमि को
कर्म न होना चाहिए। तो अब कहता है कि उक्त भूमि प्रार्थी की नहीं बल्कि प्रार्थी के साथ-साथ अन्य कई लोगों
की ओर सरकार की भी है। जिससे मोके पर विवाद की स्थिति पैदा हो गयी है।*

आत्: आपसे प्रार्थना है कि प्रार्थी की मौजा हारिल के खसरा संख्या— 4659 मध्ये
0.109 हेक्टेयर तथा खसरा संख्या— 4658 मध्ये 0.005 हेक्टेयर कुल 0.0114 हेक्टेयर भूमि सहित
अन्य लागी भूमि के मौके पर राजस्व अग्निलेखों के साथ वार्ताविक जांच कर व स्पष्ट आँखा प्रेषित
करने हेतु पटवारी / राठउठोगि हारिल को आदेशित करने की महती कृपा की जाय।

दिनांक— 29.11.2021

प्रार्थी

नकल नव्या भौजा दर्खिल पटी-खत्तोरे (प्रेसांता 64) = १ मील



- 1- निर्माणाधीन मुल का वेष्ट में 12x11 मीटर

2- स्वसरा संख्या 4659 हवातिग्रहण पुल निर्माण कार्य से 18 मीटर

3- मुराने मुल की सुरक्षा डिकल $12 \times 2.5 \text{ मीटर} = 30 \text{ क्वार्टर}$
 असल की लीम पारोडी

~~राजस्व उपचारी) २५५
 मुख्या | माला
 १४२-२०२१~~